

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमण्डल, भागलपुर
सुन्दरवन, हनुमान घाट, बरारी रोड, भागलपुर पिन-812003
ईमेल—dfobhagalpur@gmail.com

पत्रांक— 1066

भागलपुर, दिनांक—21/08/2024

प्रेषक,

श्वेता कुमारी "वि० व० से०",
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
भागलपुर वन प्रमण्डल, भागलपुर।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार,
(कैम्पा एवं वन संरक्षक संभाग)

विषय :-

भागलपुर कटिहार, पूर्णियाँ अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि० पारादीप— नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 0.42541 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा के संबंध में।

प्रसंग :-

भवदीय पत्र संख्या व०सं/61/2022-275 दिनांक— 08.05.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि प्रस्तावित परियोजना में वन अपयोजन के प्रस्ताव पर पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन उपलब्ध करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त के संबंध में के क्षेत्र पदाधिकारी, कहलगाँव के पत्रांक—170 दिनांक—21.08.2024 द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन समर्पित प्रतिवेदित है कि भागलपुर जिलान्तर्गत वन भूमि में नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा पारादीप—नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने का कार्य नहीं किया गया है।

अतः प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत में प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का अधिनियम— 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासमाजन,


(श्वेता कुमारी)

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

भागलपुर वन प्रमण्डल, भागलपुर।

कार्यालय : वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, कहलगांव वन प्रक्षेत्र।

पत्रांक :- 170

दिनांक :- 21/8/24

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी

भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर

विषय: भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया एवम् किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालिगढ रिफाइनरी लि. द्वारा पारादीप-नुमालिगढ Crude Oil underground pipeline विछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 0.42541 हे0 वन भूमि उपयोग का।

प्रसंग: भवदीय पत्रांक: 1147 दिनांक: 03.08.2024

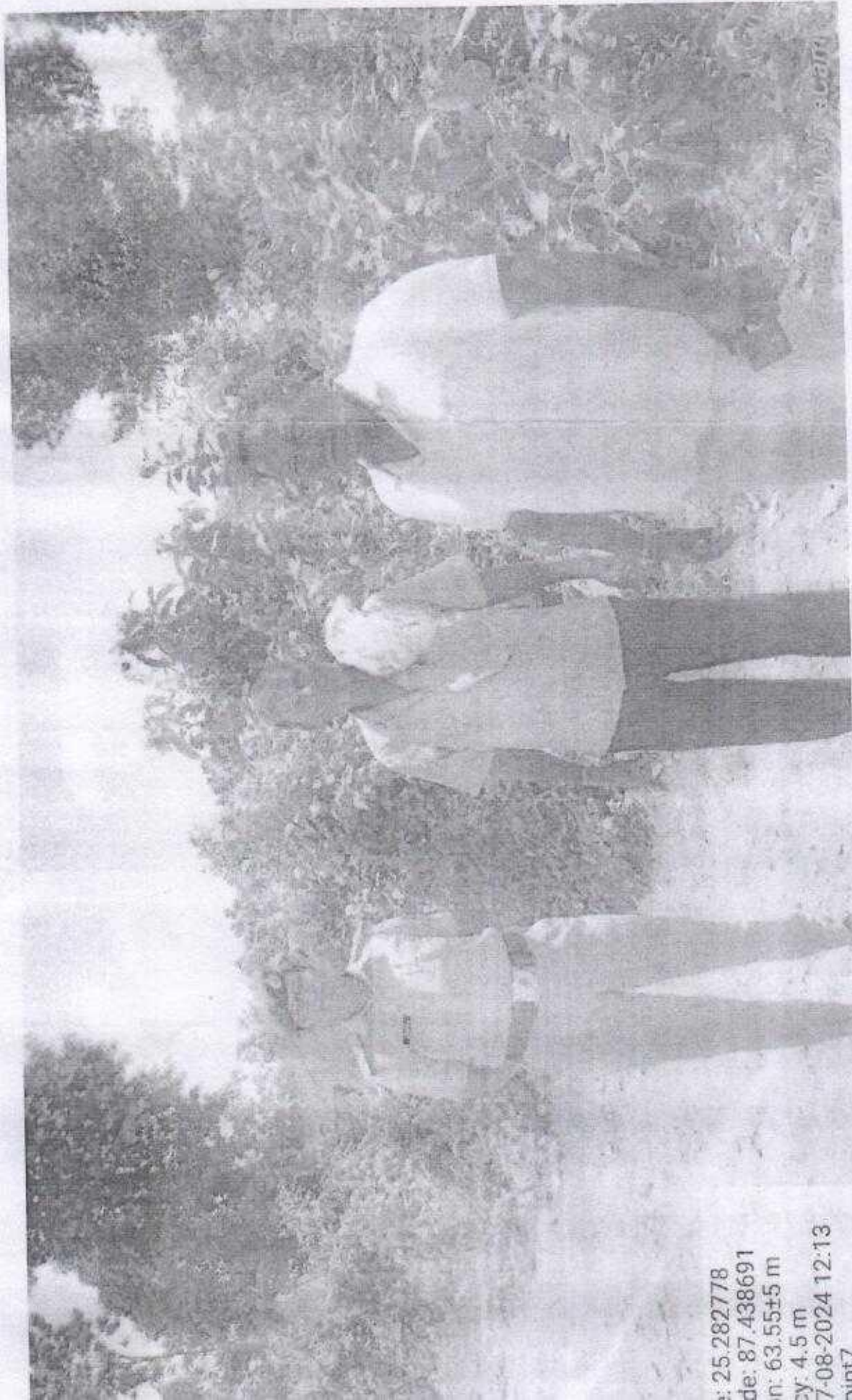
महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में दिनांक 20.08.2024 को वनपाल पूनम कुमारी एवम् प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा संयुक्त स्थलीय जाँच कराई गई। स्थलीय जांचोपरांत पाया गया कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में कोई कार्य नहीं किया गया है एवम् वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन नहीं किया गया है। इस पत्र के साथ जाँच प्रतिवेदन एवम् GPS photo संलग्न समर्पित की जा रही है।

अनुलग्नक:- यथोक्त

विश्वासभाजन

RK Singh
21.8.2024
वनो के क्षेत्र पदाधिकारी



id: 25.282778
de: 87.438691
n: 63.55±5 m
y: 4.5 m
7-08-2024 12:13
point7